तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारी... अहकाम जो ... हुक्म की ताम... में जारी हुए
	कजोड बनाम जयसिंह वगैरा किस्म मुकदमा : प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण मु0न0 24 / 2022	
30.03.2022	अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। प्रकरण में अधिवक्ता प्रार्थी श्री अजय तिवाडी को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण दर्ज रजिस्टर कर नोटिस जारी हो। उप जिला कलक्टर सिकराय से तथ्यात्मक टिप्पणी तलब की जावे। पत्रावली दिनांक 18.04.2022 को पेश हो। अति0 जिला कलक्टर दौसा	तहरीर 763 30/3/22 नोटिस 770-74 30/3/22
18-4-22	आज पीठासीन अधिकारी महोदय अवकाश पर / अन्य कार्य में व्यस्त [illegible] आदेशों की पालना में पत्रावली नियत दिनांक 6-5-22 को पेश हो। अप्रार्थी नं. 1 की ओर से रमाराम गुर्जर एड. द्वारा वकालतनामा पेश किया गया।	
6-5-22	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता अप्रार्थी नं. 1 उपस्थित। राजकीय अधिवक्ता उपस्थित। अधिवक्ता अप्रार्थी नं. 1 एवं राजकीय अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया कि प्रकरण में तत्कालीन पीठासीन अधिकारी श्री रणजीत सिंह गोदारा उपखण्ड अधिकारी सिकराय का स्थानांतरण हो चुका है इसलिये प्रार्थना पत्र स्थानांतरण को आगे चलाये जाने का औचित्य नहीं है, प्रार्थना पत्र स्थानांतरण खारिज फरमावें। अधिवक्ता प्रार्थी व प्रार्थी को बार-2 आवाज लगवाने के उपरांत भी अधिवक्ता प्रार्थी अथवा प्रार्थी कोई भी उपस्थित नहीं हुआ। क्रमश: अति. जिला कलक्टर दौसा	

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय अति0 जिला कलक्टर, दौसा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज प्र. नं. 24/22 प्रा०पत्र स्थानांतरण उनवान - कजोड़ बनाम जयसिंह वगैरा	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं अधिवक्ता अप्रार्थी नं. 1 एवं राजकीय अधिवक्ता के कथन पर मनन किया गया। प्रकरण में तत्कालीन पीठासीन अधिकारी श्री रणजीत सिंह गोदारा उपखण्ड अधिकारी सिकराय का स्थानांतरण हो चुका है तथा अधिवक्ता प्रार्थी अथवा प्रार्थी में से कोई भी पैरवी हेतु उपस्थित नहीं हुआ। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र स्थानांतरण को आगे चलाये जाने का कोई औचित्य नहीं है। इसलिये न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिकराय में विचाराधीन प्र.नं. 25/22 एवं 8/22 उनवानी कजोड़ बनाम जयसिंह आदि को अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानांतरण करने हेतु प्रार्थी कजोड़ पुत्र ठाकरया जाति गुर्जर निवासी गिरधरपुरा तहसील सिकराय द्वारा इस न्यायालय में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्थानांतरण खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिकराय को भिजवाई जावे। पत्रावली फैसलशुदा जाकर नम्बर से कम हो एवं बाद पूर्ति दाखिल रिकार्ड भण्डार की जावे। निर्णय आज दिनांक 6-5-2022 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया। (आर. के. मीना) अति. जिला कलक्टर दौसा	

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official